



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 2018/माघ 18, 1939

No. 474]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2018/MAGHA 18, 1939

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

(दिव्यांगजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2018

का.आ. 548(अ).—भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 (1992 का 34) की धारा 3 की उप धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद् की सामान्य परिषद् में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त करती है तथा इस उद्देश्य से भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचनाओं में निम्न संशोधन करती है:—

(i) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना सं. का.आ. 2479 (अ), दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 में, क्रम संख्या 11 से 12 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रम संख्याएं एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः—

धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ड) के अंतर्गत नियुक्त

“(11) निदेशक —सदस्य

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग,

हरियाणा सरकार, चंडीगढ़

“(12) निदेशक —सदस्य

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग,

हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला

(ii) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना सं. का.आ. 3533 (अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2013 में,

क्रम संख्या 13 एवं उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्न क्रम संख्या एवं प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः—

धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अंतर्गत नियुक्त

“(13) श्री पारस सी० भाह

—सदस्य

प्लाट सं० 217/ए चैतन्य रोड सं० 6

विजयराज नगर, स्नेह सागर काम्पलैक्स के सामने

भावनगर — 364003

(iii) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना सं. का.आ. 2479 (अ), दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 में,

क्रम संख्या 14 से 18 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रम संख्याएं एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः—

धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अंतर्गत नियुक्त

“(14) सुश्री रुमा बैनर्जी

—सदस्य

सेवा-इन-एक्शन, 36 एस.टी. बेड ले आउट,

कोरामंगला, बैंगलौर, 560034

“(15) श्री विमल कुमार जैन,

—सदस्य

404 — डी, पटना सुपर मार्किट,

बी — ब्लॉक, फेसर रोड,

पटना — 80000

“(16) श्री कमल कान्त पाण्डे

—सदस्य

74/6/1 गंगापुरम्, छोटा भागडा,

इलाहाबाद — 21002

“(17) सुश्री उमा तुली

—सदस्य

अमर ज्योति रिसर्च एवं रिहैबिलिटेशन सेन्टर

विकास मार्ग, कडकडूमा, दिल्ली

“(18) डा० एन० मुथैया

—सदस्य

प्रिंसिपल,

श्री रामकृष्णा मिशन विद्यालय कालेज ऑफ एजूकेशन,

कोयम्बटूर — 641020

(iv) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना सं. का.आ. 3533 (अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2013 में, क्रम संख्या (19) तथा इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः—

धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (छ) के अंतर्गत नियुक्त

“(19) डा० मनीशा अग्रवाल,

—सदस्य

मकान नं० 10, सेक्टर-1

अम्बाला, हरियाणा ।

(v) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना सं0 का.आ. 292 (अ), दिनांक 30 जनवरी, 2014 में, क्रम संख्या (20) एवं उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः —

धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (छ) के अंतर्गत नियुक्त

“(20) डा० पवन स्थापक
एम.डी. (ओष्ठोमोलोजिस्ट)
जबलपुर, मध्य प्रदेश

—सदस्य

(vi) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना सं. का.आ. 639 (अ), दिनांक 4 मार्च, 2014 में, क्रम संख्या (21) तथा इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः —

खण्ड 3 के उप-खण्ड (3) की धारा (छ) के अंतर्गत नियुक्त

“(21) डा० सान्तनु लहकर,
डिवूगढ

—सदस्य

(vii) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना संख्या का.आ. 639 (अ), दिनांक 04 मार्च, 2014 में, क्रम संख्या (22) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

धारा 3 के उप-धारा (3) के खंड (छ) के तहत नियुक्त

“(22) डा. योगेश कुमार त्रिखा,
त्रिखा विलिनिक, एल-1 / 122 ए, डीडीए फ्लैट्स, कालकाजी,
अरावली अपार्टमेंट्स के पीछे, अलकनंदा, दिल्ली-110019

—सदस्य

(viii) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना संख्या का.आ. ३५३३ (अ), दिनांक २६ नवंबर, २०१३ में, क्रम संख्या (२६) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

धारा 3 के उप-धारा (3) के खंड (झ) के तहत नियुक्त

“(26) श्री पंकज मारू,
3 / 10, आदर्श गांधी ग्राम कालोनी,
नागदा जं.- 456335 (म.प्र.)

—सदस्य

(ix) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना संख्या का.आ. 2479 (ड), दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 में, क्रम संख्या (27) एवं (28) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

धारा 3 के उप-धारा (3) के खंड (झ) के तहत नियुक्त

“(27) श्री कानुभाई टेलर,
भारतीय विकलांग कल्याण ट्रस्ट, साई समर्थ सोसायटी के पास,
बी/एच सरदायतन स्कूल, उमरा,
सूरत, गुजरात
“(28) डा. जी. मुनिरत्नम,
राष्ट्रीय सेवा समिति, अन्नमय्या मार्ग,
एआईआर बाईपास रोड, तिरुपति -517001,
चित्तूर जिला (आं.प्र.)

—सदस्य

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)
(DIVYANGJAN)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2018

S.O. 548 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) and (3) of Section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the Central Government hereby appoints the following persons as members in the General Council of Rehabilitation Council of India and for that purpose makes the following further amendment in the following notifications of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan):-

(i) In the notification number S.O.2479(E), dated the 15th October, 2008, with effect from the date of publication of this notification, for serial numbers (11) and (12) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (e) of the sub-section (3) of Section 3

“(11)	The Director,	-Member
	Department of Social Justice and Empowerment,	
	Govt. of Haryana, Chandigarh	
“(12)	The Director,	-Member
	Department of Social Justice and Empowerment,	
	Govt. of Himachal Pradesh, Shimla	

(ii) In the notification number S.O. 3533(E), dated the 29th November, 2013, with effect from the date of publication of this notification, for serial number (13) and entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (f) of the sub-section (3) of Section 3

“(13)	Shri Paras C. Shah,	-Member
	Plot No. 217/A, Chaitanya, Road No. 6,	
	Vijayrajnagar, Opp. Sneh Sagar Complex,	
	Bhavnagar-364003	

(iii) In the notification number S.O. 2479(E), dated the 15th October, 2008, with effect from the date of publication of this notification, for serial numbers (14) to (18) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (f) of the sub-section (3) of Section 3

“(14)	Ms. Ruma Banerjee,	-Member
	Seva-in-Action, 36, S.T.Bed Layout,	
	Koramangla, Bangalore-560034	
“(15)	Shri Bimal Kumar Jain,	-Member
	404-D, Patna Super Market,	
	B Block, Fraser Road,	
	Patna-800001	
“(16)	Shri Kamla Kant Pandey,	-Member

	74/6/1, Gangapuram, Chotta Bhagada, Allahabad- 211002,	
“(17)	Ms. Uma Tuli, Amar Jyoti Research and Rehabilitation Centre, Vikas Marg, Karkardooma, Delhi	-Member
“(18)	Dr. N. Muthaiah, Principal, Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Education, Coimbatore-641020	-Member

(iv) In the notification number S.O. 3533(E), dated the 29th November, 2013, with effect from the date of publication of this notification, for serial number (19) and entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (g) of the sub-section (3) of Section 3

“(19)	Dr. Manisha Aggarwal, H.No. 10, Sector-1, Ambala, Haryana	-Member
-------	---	---------

(v) In the notification number S.O. 292(E), dated the 30th January, 2014, with effect from the date of publication of this notification, for serial number (20) and entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (g) of the sub-section (3) of Section 3

“(20)	Dr. Pawan Sthapak, M.D.(Ophthalmologist), Jabalpur, Madhya Pradesh	-Member
-------	--	---------

(vi) In the notification number S.O. 639(E), dated the 4th March, 2014, with effect from the date of publication of this notification, for serial number (21) and entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (g) of the sub-section (3) of Section 3

“(21)	Dr. Santanu Lahkar, Dibrugarh	-Member
-------	----------------------------------	---------

(vii) In the notification number S.O.639(E), dated the 4th March, 2014, with effect from the date of publication of this notification, for serial number (22) and entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (g) of the sub-section (3) of Section 3

“(22)	Dr. Yogesh Kumar Trikha, Trikha Clinic, L-1/122 A, DDA Flats, Kalkaji, Behind Aravali Apartments, Alaknanda, Delhi-110019	-Member
-------	---	---------

(viii) In the notification number S.O.3533(E), dated the 29th November, 2013, with effect from the date of publication of this notification, for serial number (26) and entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (i) of the sub-section (3) of Section 3

“(26) Shri Pankaj Maru, -Member
3/10, Adarsh Gandhi Gram Colony,
Nagda Jn.-456335 (M.P.)

(ix) In the notification number S.O.2479(E), dated the 15th October, 2008, with effect from the date of publication of this notification, for serial numbers (27) and (28) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (i) of the sub-section (3) of Section 3

“(27) Shri Kanubahi Tailor, -Member
Disable Welfare Trust of India, Near Sai Samarth Society,
B/H Sardayatan School, Umara,
Surat, Gujarat
“(28) Dr. G.Muniratnam, -Member
Rashtriya Seva Samithi, Annamayya Marg,
AIR Byepass Road, Tirupati-517001,
Chittoor Distt. (A.P)

[F.No. 25-01/2013-DDIII/NI]

DOLLY CHAKRABARTY, Jt. Secy.